



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170545

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 36559 वर्ष 2025

अभिषेक और 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अनिल मिश्रा, मनोज कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकों की ओर से श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से श्री मनोज कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. अपीलकर्ता संख्या 1 एवं 2 आज न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति अंकित की जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है:

“अतः, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया विद्वान अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, चकिया, चंदौली द्वारा पारित दिनांक 05.07.2025 के आक्षेपित समन आदेश तथा दिनांक 08.01.2025 के आक्षेपित आरोप-पत्र के साथ-साथ केस क्राइम संख्या 78 सन् 2024 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 1732 सन् 2025 (राज्य बनाम अभिषेक एवं अन्य), धारा 498-ए, 323, 406, 504, 506 आई.पी.सी. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-बाबुरी, जिला-चंदौली, जो विद्वान अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, चकिया, चंदौली के न्यायालय के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे।”

4. इस न्यायालय ने दिनांक 22.09.2025 के आदेश द्वारा मामले को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष इस निर्देश के साथ संदर्भित किया था कि आवेदक मध्यस्थता केंद्र में रुपये 25,000/- की राशि जमा करेंगे।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता सफल रही। पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि पति अपनी पत्नी अर्थात् प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को स्त्रीधन, भरण-पोषण आदि के मद में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में रुपये 75,00,000/- की राशि का भुगतान करेगा। रुपये 50,00,000/- की राशि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को मध्यस्थता केंद्र के समक्ष सौंप दी गई तथा शेष रुपये 25,00,000/- का भुगतान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वाराणसी के समक्ष तलाक याचिका संख्या 46 सन् 2026 में अंतिम निर्णय पारित किए जाने के समय किया जाएगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष रुपये

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25,00,000/- जमा कर दिए हैं और अंतिम निर्णय के समय उक्त राशि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को भुगतान की जाएगी। इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों ने अनुरोध किया कि उन्होंने इस मामले में समझौता कर लिया है और अपने सभी विवादों का निस्तारण कर लिया है तथा अब वे इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

6. मध्यस्थता केंद्र की दिनांक 10.04.2026 की रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकारों ने समझौता कर लिया है।

7. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि आवेदकों के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

8. पक्षकारों के मध्य हुए निस्तारण के आधार पर किसी मामले को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि सुस्पष्ट रूप से स्थापित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1) बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य: (2003) 4 एससीसी 675; (2) निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो: (2008) 9 एससीसी 677; (3) मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य: (2008) 16 एससीसी 1; (4) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एससीसी 303 ; (5) शैफुल्ला और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य: 2013 (83) एससीसी 278 तथा (6) परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई उर्फ भीमसिनभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य: (2017) 9 एससीसी 641 के मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि जिन मामलों में पक्षकारों ने अपनी शिकायतों/विवादों का निस्तारण कर लिया है, उन्हें निरस्त किया जा सकता है।

9. अभिलेख के परिशीलन तथा विषय-वस्तु के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, वर्तमान मामला आवेदकों द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार कार्यवाही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को निरस्त करने के लिए इस न्यायालय द्वारा शक्तियों का प्रयोग किए जाने हेतु उपयुक्त मामला है।

10. वर्तमान आवेदकों के संबंध में उपर्युक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

11. वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

13 अगस्त, 2026

विजय